पाठ 5

मौलिक अधिकार एवं कर्त्तव्य

आइए सीखें

- मौलिक अधिकार क्या हैं?
- हमारे विभिन्न मौलिक अधिकार कौन-कौन से हैं?
- हमारे मूल कर्त्तव्य कौन-कौन से हैं?

शिक्षक बच्चों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा, ''तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ।''

प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क निर्माण योजना के तहत गाँव-गाँव को मुख्य सड़कों से जोड़ा जा रहा है। निपनियाँ गाँव को भी मुख्य सड़क से जोड़ने हेतु इंजीनियर ने कार्य शुरु किया। शनिवार को साप्ताहिक मजदूरी भुगतान का दिन तय किया गया। अतः शनिवार को सुबह 10 बजे से ही महिला, पुरुष मजदूर पंचायत भवन के पास एकत्रित होने लगे। 11 बजे इंजीनियर और ठेकेदार मजदूरी का पैसा लेकर आए। पंचायत भवन से मेज-कुर्सी मंगवा कर ठेकेदार ने मजदूरी वितरण शुरु किया। पहले पुरुष मजदूरों को पूरी-पूरी मजदूरी दे दी गई। फिर महिलाओं के नाम पुकारे गए। उन्हें पुरुषों से आधी मजदूरी दी जाने लगी। तीन-चार महिलाओं ने ले भी ली। ललिता का नाम पुकारा गया तो वह भी खड़ी हो गई। ठेकेदार ने उसे भी आधी मजदूरी देनी चाही पर ललिता ने नहीं ली।

ललिता ने मजदूरी लेने से इंकार करते हुए कहा हमारी साक्षरता की किताब में साफ लिखा है, समान कार्य के लिए समान मजदूरी दी जाती है। जब तक सब महिलाओं को पूरी मजदूरी नहीं मिलेगी कोई मजदूरी नहीं लेगा। हम अपना शोषण नहीं होने देंगे।

ललिता ने ठेकेदार से कहा कि हमें पुरुषों के बराबर मजदूरी चाहिए। आपने नहीं दी तो हम कलेक्टर को लिखेंगे। हमने पढ़ना-लिखना सीख लिया है।

शोर सुनकर गाँव के लोग पंचायत भवन के पास आने लगे। गाँव की पाठशाला के प्रधानाध्यापक भी आ गए। उन्होंने ठेकेदार को समझाया, ललिता ठीक कहती है। यह गाँव पढ़लिख गया है। महिलाएँ अपने अधिकार जानने लगीं हैं। आप इनका शोषण न करें। समझाने-बुझाने पर ठेकेदार मान गया और महिला मजदूरों को भी पुरुष मजदूरों के बराबर मजदूरी दी गई। सभी महिलाएँ बहुत खुश थीं। ललिता की जागरुकता ने उन्हें जागरुक कर दिया था। सभी अपने अधिकारों को जानने हेतु काफी उत्सुक दिखीं।

सामने बैठा छात्र सुनील खड़ा हो गया। उसने कहा, ''सर हमें अपने अधिकारों के बारे में

बताइए।'' शिक्षक ने कहा, ''हमारे अधिकार हमारे कर्त्तव्यों से भी जुड़े हैं। तुम्हारा अधिकार है कि तुम्हें शिक्षा प्राप्ति के अवसर प्राप्त हों, पर तुम्हारा कर्त्तव्य भी है कि तुम नियमित रूप से शिक्षा ग्रहण करो।

तुमने सुना होगा कि पिछले महीने गाँव के संतराम ने गाँव की मुख्य सड़क के कुछ भाग पर कब्जा कर दीवाल बना ली थी। पंचायत को उसे तुड़वाना पड़ा। सरपंच ने संतराम को समझाया कि उसका कर्तव्य है, कि वह आम रास्ते को अवरुद्ध न करें।

हमारे संविधान में भारत के नागरिकों के लिए अधिकार एवं कर्त्तव्यों का स्पष्ट उल्लेख है। ये अधिकार हमारे सर्वांगीण विकास की आवश्यक शर्तें हैं। आइए, हम जानें कि हमारे अधिकार और कर्त्तव्य क्या है?''

शिक्षक ने, मौलिक अधिकारों का चार्ट टाँगकर बताया कि संविधान द्वारा हमें छः मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। ये अधिकार हैं—

1. समता का अधिकार

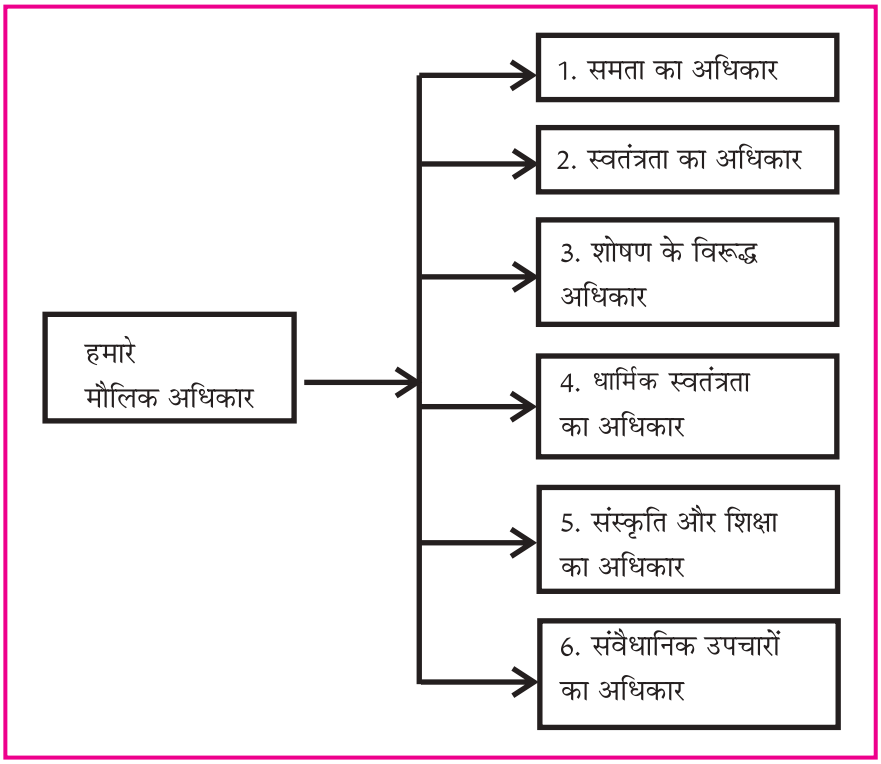

सभी नागरिक बिना किसी भेदभाव के कानून के समक्ष समान हैं। शासकीय नौकरियों के चयन के लिए सभी को समान अवसर दिए गए हैं। शासन द्वारा जाति, धर्म, लिंग, भाषा एवं राज्य के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा।

सभी सार्वजनिक स्थानों जैसे- सड़कों, दुकानों, शैक्षणिक संस्थाओं, नदी, तालाबों, भोजनालयों, होटलों में प्रवेश से किसी को रोका नहीं जावेगा। छुआछूत (अस्पृश्यता) मानना एक अपराध है।

2. स्वतंत्रता का अधिकार :

शिक्षण संकेत

- शिक्षक मौलिक अधिकारों का चार्ट श्यामपट पर बनाकर छात्र/छात्राओं को समझाएँ।

इस अधिकार में हमें छः स्वतंत्रताएँ प्राप्त हैं–

- **विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता :** भारत के सभी नागरिकों को विचार व्यक्त करने, भाषण देने और अपने तथा दूसरे व्यक्तियों के विचारों को जानने और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। नागरिकों को समाचार-पत्र में लेख आदि लिखने की भी स्वतंत्रता है।
- **सम्मेलन करने की स्वतंत्रता :** हमें अपने विचारों को स्वतंत्रता पूर्वक समझने, समझाने के लिए सभा करने या जुलूस निकालने की स्वतंत्रता है, लेकिन इस प्रकार के सम्मेलन या जुलूस में हथियार आदि नहीं ले जा सकते। जुलूस शांतिपूर्ण होना चाहिए। वे सभी व्यक्ति जो किसी बात पर एक समान विचार रखते हों, अपने अधिकारों के लिए इकट्ठे होकर संगठन बना सकते हैं।
- **भ्रमण की स्वतंत्रता :** भारत के सभी नागरिकों को बिना किसी विशेष अधिकार पत्र के देश में कहीं भी आने-जाने की स्वतंत्रता है।
- **निवास एवं बसने की स्वतंत्रता :** भारत के सभी नागरिकों को अपनी इच्छानुसार स्थायी या अस्थायी रूप से भारत के किसी भी स्थान पर बसने एवं निवास करने की स्वतंत्रता एवं अधिकार है।
- **व्यापार व व्यवसाय की स्वतंत्रता :** प्रत्येक नागरिक को कानूनी सीमा में रहकर अपनी इच्छानुसार कार्य तथा व्यवसाय करने की स्वतंत्रता है।
- **जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता :** समस्त अधिकारों का महत्व केवल तब तक है जब तक कि व्यक्ति सुरक्षित एवं जीवित है। संविधान नागरिकों को जीवन व सुरक्षा का अधिकार प्रदान करता है। संविधान के अनुसार व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध जबरदस्ती कहीं नहीं ले जाया जा सकता है।

3. शोषण के विरुद्ध अधिकार :

शिक्षक ने कहा, ''मैंने तुम्हें समान कार्य के लिए समान मजदूरी के विषय में घटना सुनाई थी। ललिता ने कहा था कि ठेकेदार उसका शोषण नहीं कर सकता। शोषण के विरुद्ध अधिकार बिना किसी भेदभाव के नागरिकों को शोषण से बचाता है। इस अधिकार का तात्पर्य है कि किसी व्यक्ति से जोर जबरदस्ती से काम नहीं लिया जा सकता है, अर्थात् कोई व्यक्ति एक काम छोड़कर दूसरा काम करना चाहता है तो उसे रोका नहीं जा सकता। इसके अलावा उसे नियम से कम मजदूरी या खराब परिस्थितियों में जबरदस्ती काम करने पर मजबूर नहीं किया जा सकता।

बंधुआ मजदूरी से शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार का हनन होता है, क्योंकि उसे मजबूर होकर एक ही जमींदार या ठेकेदार के पास काम करना पड़ता है।

14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से कारखानों, खदानों या ऐसे ही अन्य कोई खतरे वाले कार्य नहीं करवाए जा सकते हैं। इसी तरह बच्चों से गलीचे बनवाना, काँच की चूड़ी उद्योग, माचिस उद्योग में काम कराना आदि भी गलत है।''

4. **धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार :** भारत के संविधान में सभी नागरिकों को अपने-अपने धर्म का पालन करने तथा उसका प्रचार करने का अधिकार है। किसी भी व्यक्ति को उसके धार्मिक रीति रिवाजों का पालन करने से रोका नहीं जा सकता है। सभी को अपने-अपने तरीके से उपासना करने की भी स्वतंत्रता है।

5. **संस्कृति और शिक्षा का अधिकार :** भारत में विभिन्न भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। उनकी अपनी-अपनी संस्कृति है। हमारा संविधान इन सभी को अपनी संस्कृति भाषा और लिपि को सुरक्षित रखने का अधिकार देता है।

धर्म या भाषा पर आधारित अल्पसंख्यक (ऐसा धर्म मानने वाले या भाषा बोलने वाले जिनकी संख्या कम है) वर्गों को भी अपनी शिक्षण संस्थाएँ खोलने का अधिकार है। इस तरह की विभिन्न संस्थाओं को सरकारी सहायता बिना किसी भेदभाव के प्राप्त होती है।

6. **संवैधानिक उपचार का अधिकार :** भारत का संविधान समस्त नागरिकों को मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है। अतः संविधान में इसके लिए पर्याप्त एवं प्रभावपूर्ण सुरक्षा दी गई है। इससे सरकार या कोई भी नागरिक दूसरे व्यक्ति के अधिकार का हनन नहीं कर सकता। संवैधानिक उपचार के अधिकार के अन्तर्गत नागरिक अपने अधिकारों के हनन होने पर न्यायालय जा सकते हैं। न्यायालय उनके मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। संकटकालीन स्थिति में सरकार मौलिक अधिकारों को स्थगित कर सकती है।

महिलाओं हेतु विशेष प्रावधान

भारतीय संविधान द्वारा महिलाओं के लिए निम्नलिखित ये प्रावधान है—

- कानून के समक्ष लिंगीय समानता।
- महिलाओं के विकास हेतु राज्य सरकारों को सकारात्मक विभेद का प्रावधान है जैसे राज्य सेवा आयोग में आयु सीमा की छूट, रोजगार के समान अवसर एवं समान काम के लिए समान वेतन, पंचायत और नगरपालिकाओं में सीटों का आरक्षण।
- कार्य के लिए उपयुक्त और मानवीय वातावरण प्रदाय करना और प्रसूति लाभ सुनिश्चित करना।
- महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध गतिविधियों को रोकना।
- सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुविधाएँ बेहतर बनाना और पोषण के स्तर में सुधार लाना।
- कमजोर वर्ग की महिलाओं के शैक्षणिक व आर्थिक हितों को बढ़ावा देना।

मूल कर्त्तव्य

अधिकारों के साथ-साथ हमारे कुछ कर्त्तव्य भी है। अपने कर्त्तव्य का निर्वाह करने से ही अधिकार सुरक्षित रहते हैं। हमारे कर्त्तव्य हैं–

- प्रत्येक नागरिक द्वारा संविधान, राष्ट्र के आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान का आदर करना।
- अपनी स्वतंत्रता को सुदृढ़ रखने के लिए राष्ट्रीय आन्दोलनों को प्रेरित करने वाले आदर्शों का पालन करना।
- भारत की संप्रभुत्ता और अखंडता की रक्षा करना तथा उसे एकता के सूत्र में बाँधना।
- सभी देशवासियों को धर्म, भाषा, जाति एवं वर्ग से ऊपर उठकर राष्ट्रभक्त बनना।
- भाईचारे एवं एकता की भावना का विकास करें। संस्कृति और परम्पराओं का महत्व समझे तथा उनकी रक्षा करें।
- प्राकृतिक संपदा- जल, नदी, तालाब, वन्य प्राणियों की रक्षा करना तथा उन्हें संरक्षण प्रदान करना।
- वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं मानवता की भावना को उत्तरोत्तर बढ़ाना।
- हिंसा से दूर रहकर सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना।
- राष्ट्रहित में बढ़-चढ़कर भाग लेना।
- इसके अतिरिक्त भी हमारे कुछ अन्य कर्त्तव्य हैं–
  - ईमानदारी को बढ़ाना व भष्ट्राचार को रोकना
  - कानून का पालन करना।
  - मताधिकार का उचित प्रयोग करना।
  - सार्वजनिक पदों का जनता के हित में सदुपयोग करना।
  - अपने ग्राम, नगर के सार्वजनिक हित के कार्यों में सहयोग प्रदान करना तथा असहाय लोगों की मदद करना।

इस प्रकार हमें प्राप्त अधिकारों से हमारा विकास होता है और विकास के रास्ते खुलते हैं। परन्तु हमारा कर्त्तव्य है कि हम दूसरों को प्राप्त अधिकारों का हनन न करें।

अभ्यास प्रश्न

1. निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए–

(1) भारत के संविधान द्वारा नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है–

(अ) तीन अधिकार प्राप्त हैं। (ब) चार अधिकार प्राप्त हैं।

(स) पाँच अधिकार प्राप्त हैं। (द) छः अधिकार प्राप्त हैं।

(2) इनमें से कौन-सी बात सही नहीं है–

(अ) भारत के समस्त नागरिक बिना किसी भेदभाव के कानून के समक्ष बराबर हैं।

(ब) शासकीय नौकरियों में सभी को समान अवसर प्राप्त हैं।

(स) शासन जाति, लिंग, भाषा, राज्य के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा।

(द) अस्पृश्यता को जातिगत आधार पर मान्यता प्राप्त है।

(3) 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से माचिस उद्योग में काम करवाना किस अधिकार का हनन है–

(अ) समता का अधिकार (ब) स्वतंत्रता का अधिकार

(स) शोषण के विरुद्ध अधिकार (द) संस्कृति और शिक्षा का अधिकार

(4) इनमें से कौन-सा हमारा मौलिक कर्त्तव्य है–

(अ) प्राकृतिक संपदा, जल, नदी, तालाब, वन्य प्राणियों की रक्षा करना और उन्हें संरक्षण प्रदान करना।

(ब) पंचायत और नगरपालिकाओं में आरक्षण के लिए आवाज उठाना।

(स) रोजगार के समान अवसरों की माँग करना।

(द) अल्पसंख्यक वर्गों को शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश लेना।

2. कोष्ठक में दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए–

(संपत्ति, अधिकारों, शोषण, विचार अभिव्यक्ति, कर्त्तव्य)

(1) समान कार्य के लिए समान मजदूरी नहीं दिया जाना ..... है।

(2) अखबार छापना, ... की स्वतंत्रता का अधिकार है।

(3) राष्ट्रध्वज के प्रति सम्मान हमारा ..... है।

(4) हमें सार्वजनिक ..... की रक्षा करनी चाहिए।

(5) हमारा कर्त्तव्य है कि हम दूसरे के ..... का हनन न करें।

3. लघु उत्तरीय प्रश्न–

(1) हमें कौन-कौन से मौलिक अधिकार प्राप्त हैं?

(2) समता के अधिकार पर चार वाक्य लिखिए।

(3) शोषण के विरुद्ध अधिकार हमें शोषण से बचाता है। कैसे?

(4) महिलाओं हेतु तीन विशेष प्रावधान लिखिए।

4. दीर्घ उत्तरीय प्रश्न–

(1) किन्हीं दो मौलिक अधिकारों पर टिप्पणी लिखिए।

(2) नागरिकों को प्राप्त स्वतंत्रताओं में से किन्हीं दो का वर्णन कीजिए।

(3) मूल कर्त्तव्यों को लिखिए।

परियोजना कार्य–

- अपने आसपास के क्षेत्र का भ्रमण कर जानिए कि क्या किसी नागरिक के अधिकारों का हनन हुआ है? यदि ऐसा हो रहा है तो उसका विवरण लिखें, कक्षा में चर्चा करें।
- क्या आपके क्षेत्र में ग्राम पंचायत/नगरपालिका/नगरनिगम/पाठशाला अपने कर्त्तव्यों का निर्वाह कर रही है? यदि नहीं तो उस संबंध में जिले के कलेक्टर को एक पत्र लिखें।